7/11/23 पत्रावली पेश हुई प्रार्थी व वकील प्रार्थी अनुपस्थित। प्रकरण मे प्रार्थी व वकील प्रार्थी को विधिवत कई मर्तबा आवाज लगाई किन्तु कोई उपस्थित नही होने से प्रार्थी का प्रा० पत्र अदम-हाजरी अदम-पैरवी मे खारीज किया जाता है। प्रकरण मे पूर्व मे पारित एकपक्षीय अन्तर्वर्ती निषेधाज्ञा दिनांक 09/09/2022 को स्वतः निरस्त माना जावे। पत्रावली के साथ रुपया होकर उर्ध नम्बर से कम है।

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 18:03:58 IST
Reason: SelfAttested